न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 32/2025 GCMS No.—2025/87

पांचूराम रैगर पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुरेश पुत्र स्व. श्री नाथूराम जाति रैगर निवासी रैगरो का मोहल्ला, ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 28.03.1998 ग्राम पंचायत खरकडा, पं.स. जमवारामगढ, जयपुर द्वारा जारी किया गया।

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रमेश कुमार जाजोरिया अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 24.11.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के आदेश 28.03.1998 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता नाथूराम पुत्र स्व. थानाराम रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.05.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ में विधि विरूद्ध जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता के नाम पट्टा जारी किया गया इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियमों की अवहेलना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की किस्म गै0मु0खारडा थी इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 निगरानीधीन पट्टे की आड में आम रास्ते को अवरूद्ध करते है जिससे आम जन को परेशानी का सामना

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

करना पड रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 330 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा अवैध है। उक्त पट्टा विवादित भूमि खसरा नंबर 10 में जारी किया गया है एवं जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश की पालना में खसरा नंबर 10 की भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 09.01.2023 द्वारा आबादी हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन के समय निगरानीधीन पट्टे की भूमि गै.मु.खारडा थी जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं था। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया है इसलिए निगरानीधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके, कब्जे की जांच किये एवं राजस्व रिकॉर्ड की जांच किये बिना ही गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता के हक में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने में पंचायत राज अधिनियमों की पालना नहीं की गयी। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष निगरानीधीन पट्टे की आड में स्थगन आदेश ले रखा है एवं मौके पर रास्ते का बंद कर रखा है। उक्त प्रकरण में निगरानीकार पक्षकार बना एवं निगरानीधीन पट्टे की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ के आदेश दिनांक 28.03.1998 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में गैर निगरानीकार संख्या 2 निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से आवासीय मकानात बनाकर निवासरत है, जिसमें नल, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार को परेशान करने के उद्धेश्य से पट्टा जारी किये जाने के इतने वर्षो बाद निगरानी पेश की गयी है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि वर्तमान में गै0मु0आबादी है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ही पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय नियम 266 अर्न्तगत पंचायत राज अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता स्व. नाथूराम के हक में आदेश दिनांक 28.03.1998 अर्न्तगत

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पंचायत राज अधिनियम 1961 आबादी भूमि विक्रय नियम 266 के द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है इसलिए प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पट्टा जारी किये जाने के समय गै0मु0खारडा थी एवं गै0मु0खारडा की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 10 रकबा 0.90 हैक्टेयर में स्थित है। खसरा नंबर 10 वाके ग्राम खरकडा स्थित भूमि का जिला कलक्टर जयपुर के आदेश कमांक आर–1(26)/2022 /आबादी/जमवारामगढ/8086 दिनांक 25.11.2022 द्वारा सार्वजनिक आबादी विस्तार हेतु पृथक (सेट अपार्ट) किया जा चुका है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 113 तस्दीक दिनांक 09.01.2023 द्वारा खसरा नंबर 10 की भूमि की किस्म गै.मु.खारडा से गै.मु.आबादी हो चुकी है एवं भूमि की खातेदारी वर्तमान में ग्राम पंचायत खरकडा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खरकडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2025 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नंबर 10 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम खरकडा में गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवासीय मकानात बने हुए है। विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर आवासीय मकानात बने हुए है तथा वर्तमान में निगरानीधीन पट्टे की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0आबादी दर्ज हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत खरकडा, पं.स. जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि से अधिक आबादी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में निहित प्रावधानो के तहत ग्राम पंचायत खरकडा कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति प्रति ग्राम पंचायत खरकडा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर